महत्वपूर्ण/समयबद्ध/शीर्ष प्राथमिकता/मा0 लोकायुक्त सन्दर्भ

**अनुस्मारक–चतुर्थ**

प्रेषक,

आयुक्त,
मेरठ मण्डल,
मेरठ।

सेवा में,

1–जिलाधिकारी, गाजियाबाद/उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
2–श्री राजीव रतन शाह, नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

संख्याः– 707/28–28/2020–22 दिनांकः– 03 अप्रैल, 2023

विषयः– श्री निमित कुमार, जिला हापुड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या–281/28–28/2020–22 दिनांक 22–12–2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सचिव, मा0 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–1122–2021/28/10015 दिनांक 24–11–2022 के माध्यम से प्राप्त श्री निमित कुमार, जिला हापुड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 06–05–2022 एवं दिनांक 06–09–2022, जिसमें हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माणों को बढ़ावा देने, बिना मानचित्र स्वीकृत कराए व्यवसायिक भवन का निर्माण किए जाने का उल्लेख किया गया है, की जांच हेतु मा0 आयुक्त, महोदया के आदेश दिनांक 22–12–2022 के अन्तर्गत समिति का गठन करते हुए विलम्बतम् एक सप्ताह में प्रकरण की जांच करते हुए साक्ष्य समर्थित संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किए गए थे, परन्तु उक्त वांछित आख्या 03 अनुस्मारक पत्र (गत अनुस्मारक पत्र संख्या–625/28–28/2020–22 दिनांक 13–03–2023) भेजने के बावजूद भी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री निमित कुमार, जिला हापुड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में की गई जांच सम्बन्धी अपनी साक्ष्य समर्थित संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आख्या आज ही अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार वांछित आख्या सचिव, मा0 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अविलम्ब भेजी जा सके।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद)
अपर आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।